18.03.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम (3 क)—

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

2. न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)(एफ.टी.सी.), ललितपुर द्वारा परिवाद संख्या 801/2020, बृजेन्द्र सिंह यादव बनाम नीरज कुशवाहा आदि, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में पारित आदेश दिनाँकित 28.08.2024 के विरुद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलंब के मर्षण हेतु प्रार्थना पत्र (3 क) मय शपथ पत्र (4 ख) अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने पर उसके अधिवक्ता द्वारा उसे अवगत कराया गया, जिस पर उसने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का मुआयना कराकर दिनाँक 16.09.2025 को नकल हेतु आवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति नकल विभाग से उसे दिनाँक 07.11.2025 को प्राप्त हुई, जिसके उपरान्त पर उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रस्तुत करने में

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.18 18:49:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसने जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने याचना की गयी है।

3. विपक्षी संख्या 1 उ.प्र. राज्य की ओर से की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विलंब मर्षण प्रार्थना पत्र (3 क) का मौखिक विरोध किया गया है।

4. विपक्षी संख्या 2 नीरज की ओर से लिखित आपत्ति (12 ख) मय शपथ पत्र (13 ख) प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रार्थना पत्र (3 क) में किये गये कथन धारा 5 मियाद अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं। दिनाँक 28.08.2024 से पूर्व निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय की कार्यवाही कब–कब भाग लिया और क्या–क्या प्रक्रिया की गयी, का जानबूझकरकोई उल्लेख नहीं किया गया है। दिनाँक 28.08.2024 के पूर्व से विचारण न्यायालय में न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी और ना ही निगरानीकर्ता सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय में उपस्थित आया। विचारण न्यायालय के पास उक्त वाद को खारिज करने के अतिरिक्त कोई भी विधिक क्षेत्राधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनाँकित 28.08.2024 पारित किया गया है। आदेश दिनाँकित 28.08.2024 की जानकारी किस माध्यम से निगरानीकर्ता को प्राप्त हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र दाखिल किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा शपथ पत्र स्वस्थ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा काल्पनिक एवं फर्जी आधारों पर विभिन्न आपराधिक वाद अनुचित एवं नाजायज दबाव डालने हेतु भिन्न–भिन्न न्यायालयों में किये हुए हैं और उसे आर्थिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उसी कारण से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थना पत्र (3 क) को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Collector, Land Acquisition Vs. Mst. Kati Ji and others, 1987 (13) AIR 306** में यह विधि व्यवस्था दी है कि The legislature has Conferred the power to condone delay by enacting section 5 of the Limitation Act of 1963 in order to enable the Courts to do substantial justice to parties by disposing of matters on merit. The expression "sufficient Cause" employed by the Legislature is adequately elastic to enable the Courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice that being the life purpose of the existence of the institution of Courts. It is common knowlege that this Court has been making a justifiably liberal approach does not appear to have percolated down to all the other Court in the hierarchy." And such a liberal approach is adopted on principle as it is realized that–

1–Ordinarily, litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late.

2– Refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this; when delay is condoned, the highest that can happen is that a cause would be decided on merit after hearing the parties.

3– "Every" day's delay must be explained" does not mean that a pedantic approach should be made. Why not every hour's delay, every second's delay? The doctrine must be applied in rational, common sense and pragmatic manner.

4– When substantial justice and technical considerations are pitted against each other, the cause of substantial justice deserves to be preferred, for the other side can not claim to have vested right in injustice being done because of a non–deliberate delay.

5– There is no presumption that delay is occasioned deliberately, or on account of culpable negligence, or on account of malafides. A litigant does not stand to benefit by restoring to delay. In fact, he runs a serious risk.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **N. Balakrishanan Vs. M. Krishnamurthy 1998(7) SCC 123.** के मामले में यह विधि व्यवस्था दी है कि The primary function of court is to

adjudicate the dispute between the parties and to advance substantial justice. Time limit fixed for approaching the court in different situations in not because on the expiry of such time a bad cause would transform into a good cause. Rules of limitation are not meant to destroy the right of parties. They are meant to see that parties do not resort to dilatory tactics, but seek their remedy promptly. The object of providing a legal remedy is to repair the damage caused by reason of legal injury. Law of limitation fixes a life-span for such legal remedy for the redress of the legal injury so suffered. Time is precious and the wasted time would never revisit During efflux of time newer causes would sprout up necessitating newer persons to seek legal remedy by approaching the courts. So a life span must be fixed for each remedy. Unending period for launching the remedy may lead to unending uncertainty and consequential anarchy, Low of limitation is thus Founded of public policy."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Smt. Prabha Vs. Ram Prakash Kalra 1987 (Suppl.) SCC 338** में यह विधि व्यवस्था दी है कि the Court should not adopt an injustice oriented approach in rejecting the application for condonation of delay, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Vedabai @ Vaijayanatabai Baburao patil Vs. Shantaram Baburao Patil and others 2001 (44) AIR 577 (Sc)** में यह विधि व्यवस्था दी है कि "In exercising discretion under section 5 of the limitation Act, the Courts should adopt a pragmatic approach. A distinction must be made between a case where the delay is inordinate and a case where the delay is of a few days. Whereas in the former case the consideration of prejudice to the otherwise will be a relevant foctor so the case calls for a more countious approach...."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **New India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt Shanti Misra, AIR 1976 SC 237** में यह विधि व्यवस्था दी है कि " discretion given by section 5 (of Limitaion Act) should not be defined or crystallized so as to convert a discretionary matter into a rigid rule of law. The express "sufficient cause" Should receive a liberal construction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Shakuntala Devi Jain Vs. Kuntal Kumari, AIR 1969 SC 575** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि" unless want of bona fides of such inaction or negligence as would deprive a party of the protection of section 5 (of Limitaion Act) is proved, the application must not be thrown out or any delay can not be refused to be condoned.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **O.P. Kathpalia Vs. Lakhmir Singh AIR 1984 SC 1744** में यह विधि व्यवस्था दी है कि " if the refusal to condone the delay results in grave miscarriage of justice, it would be a ground to condone the delay."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Haribhai Lakhmanbhal Seedhav Vs. State of Gujrat and others 2009 (27) LCD 1645** में विधि व्यवस्था दी है कि the Court should not reject appeal/revision on the ground of delay and the same should be decided on merit.

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं व मियाद से छूट प्रार्थना पत्र (3 क) के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का परिशीलन किया।

13. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवाद संख्या 801/2020 बृजेन्द्र सिंह यादव बनाम नीरज कुशवाहा में विद्वान सिविल जज (सी.डि.)/एफ.टी.सी., ललितपुर द्वारा

आक्षेपित आदेश दिनांक 28.08.2024 को पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध आवेदक/निगरानीकर्ता बृजेन्द्र द्वारा यह कालबाधित निगरानी के 01 वर्ष 03 माह 13 दिन के विलंब से दिनाँक 11.12.2025 को प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता की ओर से कथन किया गया है कि उसे आक्षेपित आदेश की जानकारी नहीं थी। आक्षेपित आदेश की जानकारी जरिए अधिवक्ता होने पर उसके द्वारा दिनाँक 16.09.2025 को नकल हेतु आवेदन किया गया और दिनाँक 07.11.2025 को उसे नकल की प्रति प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। उसके द्वारा जानबूझकर निगरानी प्रस्तुत करने में विलंब नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति के परिशीलन से ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु दिनाँक 16.09.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नकल तैयार होकर दिनाँक 07.11.2025 को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हुई है तथा उसे प्रमाणित प्रति दिनाँक 18.11.2025 को जारी की गयी है। आवेदक द्वारा दिनाँक 11.12.2025 निगरानी प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत करने में लिया गया आधार, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में स्वाभाविक व संतोषजनक है। प्रार्थना पत्र (3 क) शपथ पत्र से समर्थित है। अतः निगरानी को गुणदोष पर निस्तारित करने हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र (3 क) स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आपत्ति (12 ख) मय शपथ पत्र (13 ख) निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/निगरानीकर्ता बृजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (3 क) अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ किया जाता है। आपत्ति (12 ख) तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनाँक 24.03.2026 को पेश हो।

दिनाँकः 18.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।